न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 16/2015

सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्रीमति सुशीला पत्नी श्री राकेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर।

.....**अप्रार्थिया**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 30.03.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 06.01.2011 को ग्राम देवलिया खुर्द में आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा श्रीमति सुशीला पत्नी श्री राकेश जाति गूर्जर निवासी ग्राम देवलियाखुर्द के पक्ष में ग्राम देवलिया खुर्द स्थित आराजी खसरा नम्बर 1590 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 1593 रकबा 0.13 व खसरा नम्बर 1594/2159 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। तहसीलदार केकडी द्वारा विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवंटिया का पति राजकीय सेवा में कार्यरत है जिससे आवंटन नियमों का उल्लंघन हुआ है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थिया के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थिया बावजूद के सूचना अनुपस्थित रहने पर पैरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थिया के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम एवं रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि वरवक्त आवंटन आवंटिया की सास श्रीमति हंगामी पत्नी हरजी गूर्जर इसी ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर कार्यरत रहने के साथ ही आवंटन कमेटी में सदस्य स्वरूप शामिल थी, इसके अतिरिक्त अप्रार्थिया का पति राजकीय सेवा में कार्यरत है। उनका कथन है कि अप्रार्थिया द्वारा विवादित भूमि का आवंटन तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्वक करवाया गया है। नियमानुसार आवंटन कमेटी के सदस्यों के परिवार के किसी भी व्यक्ति द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन करवाया जाना नियमों

Scanned by CamScanner

के विपरीत है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिया के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

हमने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थिया के पक्ष में विवादित भूमि के आवंटन के दौरान अप्रार्थिया की सास श्रीमति हंगामी देवी इसी ग्राम में सरपंच पद पर रहने के साथ ही आवंटन कमेटी में सदस्य थी नियमानुसार परिवार में किसी भी व्यक्ति को आवंटन के समय उस परिवार का कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में कमेटी में शामिल नही हो सकता। इसी प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थिया का पति राजकीय सेवा में है। राज्य कर्मचारी के किसी भी व्यक्ति को भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थिया द्वारा विवादित भूमि का आवंटन छल–कपटपूर्वक तथ्यों को छिपाकर करवाया गया है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिया के पक्ष में ग्राम देवलियाखुर्द के आराजी खसरा नम्बर 1590 रकबा 0.04 खसरा नम्बर 1593 रकबा 0.13 व खसरा नम्बर 1594/2159 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

आदेश आज दिनांक 30.03.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner